उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः 162/XXX–2/19–30(02)/2018
देहरादूनःदिनांक 13 जून, 2019

अधिसूचना संख्या–124/XXX–2/19/30(02)/2018 दिनांक 12.06.2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर, इसकी 300 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग–2 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
9. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
12. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
13. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. प्रभारी मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
17. गार्ड फाईल।

संलग्नः यथोपरि

आज्ञा से,

(एस०एस०वल्दिया)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2,
संख्या– 124 /XXX–2/19/30(2)/2018
देहरादून, दिनांक 12 जून, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1.(1) यह नियमावली उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019 कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह नियमावली मा० उच्च न्यायालय, महाधिवक्ता कार्यालय, राज्यपाल सचिवालय, राज्य सचिवालय, राज्य विधान मण्डल कार्यालय, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग और उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा अधिकरण को छोड़कर, सरकार के नियंत्रण में सभी राजकीय विभागों में अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. किसी अन्य सेवा नियमावली या तत्समय लागू आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

सेवा की प्रास्थिति

3. उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें

4. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष अभिप्रेत है।

(ख) **"भारत का नागरिक"** से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(ग) **"आयोग"** से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है;

(घ) **"संविधान"** से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ङ) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(च) **"राज्यपाल"** से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) **"विभागाध्यक्ष"** से संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष अभिप्रेत है।

(ज) **"सेवा का सदस्य"** से, इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) **"सेवा"** से उत्तराखण्ड राजकीय अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा अभिप्रेत है;

(ञ) **"मौलिक नियुक्ति"** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार, चयन के पश्चात् की गयी हो; तथा

(ट) **"भर्ती का वर्ष"** से किसी कलैन्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

5(1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) अधीनस्थ लेखा संवर्ग के संयुक्त संवर्ग में सहायक लेखाकार और लेखाकार के पद सम्मिलित होंगे।

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार आस्थगित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(ख) राज्यपाल ऐसे स्थाई एवं अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत	6.	सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्न स्रोतों से की जायेगी:--

(1) सहायक लेखाकार — आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(2) लेखाकार — विभागीय चयन समिति के माध्यम से मौलिक रूप से, नियुक्त ऐसे सहायक लेखाकारों में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करते हुये, विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

7\. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4--अर्हता

राष्ट्रीयता

8 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से एक जनवरी, 1962 से पहले भारत में आया हो, होना चाहिये, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केनिया, यूगांडा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है, तो प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी — जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हताएं

9. सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा बी०बी०ए० (Bachelor In Business Administration) अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन एकाउण्टेंसी तथा हिन्दी टंकण में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होनी चाहिए।

अनिवार्य / वांछनीय अर्हताएं

10. लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के पदों पर आवेदन हेतु अनिवार्य / वांछनीय अर्हताएं, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 तथा समय–समय यथा संशोधित नियमावलियों के अनुसार होंगी।

अधिमानी अर्हताएं

11. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु: 12. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियां भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिये विज्ञापित की जाय, उस वर्ष की पहली जुलाई को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए।

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र: 13. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए में सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति: 14. ऐसा पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होंगे।

परन्तु, यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक योग्यता: 15. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे सेवा के अन्य मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग–3 के अध्याय–3 में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है,

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गए अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

परन्तु यह भी कि निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा–34(1) के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति दिये जाने से मना नहीं किया जायेगा।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणाः 16. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की नियम 7 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रियाः 17. इस नियमावली के अधीन सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अनुसार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रियाः 18. पदोन्नति द्वारा भर्ती निम्नलिखित आधार पर की जायेगी :-

(1) लेखाकार के पदों पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर निम्नलिखित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी :–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष
(ख) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट 02 अधिकारी	सदस्य
(ग) वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी	सदस्य

किन्तु यदि उपरोक्तानुसार गठित चयन समिति में अध्यक्ष अथवा सदस्य में से कोई भी अनुसूचित जाति/जनजाति का नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/जनजाति में से किसी अधिकारी को जो संयुक्त निदेशक से निम्न न हो, सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेख चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे जो उचित समझे जाय।

(3) चयन समिति द्वारा उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति, चयनित किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

भाग छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति:

19. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसे यथास्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो।

परिवीक्षा:

20. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर पद नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुये, जब तक अवधि बढ़ायी गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे। परन्तु उपबन्ध यह कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी हो।

स्थायीकरण

21. (1)नियम 20 के उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि :–

(क) विहित विभागीय परीक्षा यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली गयी हो,

(ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो,

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है, तथा

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि वह स्थायी किये जाने हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

जहां उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश को कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

22. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय–समय पर यथा संशोधित, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग छः—वेतनमान

वेतनमान

23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट "क" में दिये गये है।

परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन

24. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

परन्तु यदि सन्तोषजनक सेवायें प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय, तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

2. ऐसा व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों के द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि सन्तोषजनक सेवायें प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय, तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

3. ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थनः

25. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमनः 26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों का शिथिलीकरणः 27. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले मे असाम्यक कठिनाई होती है, वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें व मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु यह कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने से पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जाएगा।

व्यावृत्तिः 28. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबंध किया जाना अपेक्षित हो।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

परिशिष्ट–"क"

उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान
1	2	3
(1)	सहायक लेखाकार	वेतन मैट्रिक्स में लेवल–5 (29200–92300)
(2)	लेखाकार	वेतन मैट्रिक्स में लेवल–6 (35400–112400)

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव